

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 2016/माघ 14, 1937

No. 308] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 2016/MAGHA 14, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2016

का.आ. 355(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 10 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, श्री देवेन्द्र कुमार सीकरी को 11 जनवरी, 2016 (अपराह्न) से पांच वर्ष की अविध के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख तक या आगामी आदेशों तक, इसमें जो भी पूर्वतर हो, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

2. उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 द्वारा शासित होंगे।

[फा. सं. 5/18/2015-सीएस]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

563 GI/2016 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2016

- **S.O.** 355(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 read with sub-section (1) of section 10 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby appoints Shri Devender Kumar Sikri as the Chairperson of the Competition Commission of India with effect from the 11th January, 2016 (afternoon) for a period of five years or till the date of attaining the age of sixty-five years or until further orders, whichever is the earliest.
- 2. The terms and conditions of his service shall be governed by the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003.

[F. No. 5/18/2015-CS]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.